<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

इजराय संख्या : 44 / 2024

महावीर प्रसाद शर्मा व अन्य **<u>बनाम</u>** जिला कलेक्टर व अन्य

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

उपस्थितः–

1. श्री सुनील कुमार सिंह, प्रार्थी / मदयून संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री अभयदेव शर्मा, अप्रार्थी / डिक्रीदारान के विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक : 29.10.2025</u>**

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी / मदयून संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 01.07.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी / मदयून संख्या 02 की ओर से दिनांक 01.07.2025 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–47 सि.प्र.सं. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा वारण्ट कुर्की अन्तर्गत आदेश 21 नियम 30 सिविल प्रक्रिया संहिता जारी किया गया है। मदयून ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2023 के विरुद्ध एक सिविल रिट संख्या 1618 / 2024 राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में प्रस्तुत कर इस न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे, उनको निर्णीत करते समय डिक्रीदारान द्वारा कुछ तथ्य छिपाये गये, इस कारण से मदयून के विरुद्ध इस न्यायालय में आदेश पारित किये हैं। विवादित मुआवजा मदयून संख्या 02 से वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि मदयून संख्या 02 ने भूमि अवाप्ति नहीं की, इस कारण से भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत मदयून संख्या 02 का कोई विधिक मुआवजे के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व नहीं है। धारा 18 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत हितबद्ध व्यक्ति को सर्वप्रथम कलेक्टर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि तत्पश्चात् न्यायालय से उक्त मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की जा सके। मुआवजे की राशि की वसूली सेल अमीन जिला न्यायालय के द्वारा किया जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार की वसूली राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 228 से 231 के तहत किया जाना न्यायोचित है। उक्त प्रश्नों का निस्तारण करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः

उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 7,29,76,275/–रुपये की वसूली का कुर्की वारण्ट निरस्त किया जावे।

3. दिनांक 18.09.2025 को अप्रार्थीगण/डिक्रीदारान की ओर से पत्रावली पर प्रार्थी/मदयून संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर जाहिर किया गया कि पक्षकारान के मध्य डिक्री के निष्पादन हेतु कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए हैं। धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। मदयून संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। डिक्रीदारान द्वारा न्यायालय से कोई तथ्य नहीं छुपाये गये हैं, अपितु मदयून संख्या 02 ने सत्यता को प्रकट नहीं किया है और परस्पर विरोधी अभिवचन प्रकट किये हैं। विवादित मुआवजा दोनों मदयूनान से वसूली योग्य है। मदयून संख्या 02 ने मूल प्रकरण के विचारण में उक्त मुआवजा अदा करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर रिडकोर को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया, जिसे स्वीकार कर न्यायालय ने मदयून संख्या 02 रिडकोर को पक्षकार बनाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर डिक्री पारित की है। इस न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत विधि अनुसार डिक्री पारित की गयी है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सिर्फ राजस्व लगान की वसूली की कार्यवाही की जाती है, भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के तहत पारित अवार्ड राशि की नहीं। प्रार्थी/मदयून संख्या 02 रिडकोर ने निष्पादन की कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या, मनगढ़न्त व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। अन्त में प्रार्थी/मदयून संख्या 02 रिडकोर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भारी खर्चे पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/मदयून संख्या 02 की ओर से अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर 7,29,76,275/–रुपये की वसूली का कुर्की वारण्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. इसके विपरीत अप्रार्थीगण/डिक्रीदारान के विद्वान अधिवक्ता ने

अपनी मौखिक बहस में उक्त तर्को का विरोध करते हुये अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये प्रार्थी/मदयून संख्या 02 रिडकोर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भारी खर्चे पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. हमारे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/मदयून संख्या 02 रिडकोर की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस न्यायालय के समक्ष उठाये गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें निर्णित करते समय डिक्रीदार द्वारा कुछ तथ्य छिपाये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2023 को पारित निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में सिविल रिट संख्या 1618/2024 के माध्यम से चुनौती दिया जाना बताते हुये मद्यून संख्या–2 द्वारा भूमि अवाप्त नहीं किये जाने के कारण भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत मद्यून संख्या–2 का मुआवजे के सम्बन्ध में कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होने से मद्यून संख्या–2 से मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकना एवं सर्वप्रथम कलेक्टर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना तथा मुआवजे की राशि सेल अमीन जिला न्यायालय द्वारा वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं होना बताते हुये वसूली का कुर्की वारन्ट निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा दीवानी विविध (भूमि अवाप्ति मुआवजा) प्रकरण संख्या–60/2012, सी.आई.एस. संख्या 53/2014 जिला कलक्टर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जिसके विचारण के दौरान दिनांक 20.09.2017 को हस्तगत प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/मद्यून संख्या 02 रिडकोर द्वारा आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2020 के अनुसार प्रार्थी/मद्यून संख्या 02 को विपक्षी संख्या 02 के रूप में संयोजित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18.10.2023 को प्रार्थीगण महावीर प्रसाद शर्मा व अन्य की ओर से प्रस्तुत यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर एवं रिडकोर के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। इस प्रकार स्वयं प्रार्थी/मद्यून संख्या 02 द्वारा अपने आदेश 01 नियम 10 सि.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रेफरेंस में अवार्ड राशि में फेरबदल किया जाता है तो पारित आदेश का

प्रार्थी रिडकोर कम्पनी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी प्रकार से अवार्ड राशि में बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान भी रिडकोर कम्पनी द्वारा ही किया जाना होगा, इसलिए आवश्यक व सुसंगत पक्षकार होना स्वयं प्रार्थी/मद्यून संख्या 02 द्वारा अंकित किया गया है, ऐसे में अब इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2023 के पश्चात्वर्ती इजराय के क्रम पर विवादित मुआवजा मद्यून संख्या 02 से वसूल नहीं किये जाने की आपत्ति लिया जाना सारहीन प्रतीत होती है। जहां तक सर्वप्रथम कलक्टर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.10.2023 से अंतिम रूप से भूमि अवाप्ति मुआवजा प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है, ऐसे में न्यायालय के आदेश की अनुपालना में इजराय कार्यवाही इस न्यायालय के माध्यम से ही किया जाना विधिसम्मत है तथा जिला कलक्टर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतीत नहीं होता है। जहां तक मुआवजे की राशि सेल अमीन द्वारा वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं होने का प्रश्न है तो चूंकि इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2023 की अनुपालना में हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है, ऐसे में न्यायालय द्वारा सेल अमीन के माध्यम से वसूली की कार्यवाही करवाया जाना किसी भी प्रकार से अनुचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उक्त कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत की गई है तथा जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2023 के निर्णय के माध्यम से किया गया है, जिसके क्रम में हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र में वारण्ट जारी किया जाना है।

8. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/मद्यून संख्या 02 की ओर से अपने हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो आपत्तियां ली गई हैं, वे इस प्रक्रम पर किसी प्रकार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

9. अतः प्रार्थी/मदयून संख्या 02 की ओर से दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–47 सिविल प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अजय शुक्ला)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)